**राजस्थान सरकार**

**निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर**

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309)

क्रमांकः– प.3(ई) ( )/APAR/ डीपीसी/ 2019–20/ 36 दिनांकः– 20/03/24

# विज्ञप्ति

विषयः– राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के कार्मिकों द्वारा आनॅलाईन APAR भरने के संबंध में।

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(51)कार्मिक/क–I/गो.प्र./2022 दिनांक 30.03.2022 के अनुसार समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2021–22 से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) राजकाज सॉफ्टवेयर द्वारा आनलाईन भरी जानी है।

कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र के सदर्भ में विभागीय परिपत्र क्रमांक प.3(ई) ()APAR/डीपीसी/2019–20/807 दिनांक 06.04.2023 द्वारा भी दिशानिर्देश जारी किए गए है।

वर्तमान में देखने में आया है कि कुछ कार्मिकों द्वारा कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2022 एवं विभागीय परिपत्र दिनांक 06.04.2023 की पालना नहीं की जा रही है तथा आज दिनांक तक वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 की अधिकांशतः कार्मिकों की APAR बकाया है। APAR बकाया होने के कारण पदोन्नति करने एवं ACP/MACP स्वीकृत किए जाने में पेरशानी हो रही है। अतः सभी कार्मिक यह सुनिश्चित करें कि स्वयं की SSO-ID से उक्त दोनो वर्षों की APAR पूर्ण हो गई है।

कुछ कार्मिकों (सहायक लेखाधिकारी–I, सहायक लेखाधिकारी–II तथा क0 लेखाकारों) द्वारा समय पर वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 की APAR नहीं भरी गयी है वे कार्मिक भी कृपया अपनी APAR पूर्ण करावें।

इसके अलावा कुछ कार्मिकों द्वारा वर्ष 2021–22, 2022–23 की APAR ऑफ–लाईन भिजवाई गई थी जिसके संदर्भ में कार्मिक विभाग से इसकी छूट चाही गई थी। किन्तु फरवरी 2024 में कार्मिक विभाग द्वारा स्पष्ट किया है कि जिन प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारियों की SSO–ID नहीं बनी हुई है, वे ही विभाग अपने स्वयं के प्रशासनिक विभाग के माध्यम से कार्मिक विभाग को ऑफ–लाईन APAR भरने हेतु छूट के प्रस्ताव भिजवायें तथा APAR के साथ कार्मिक विभाग से प्राप्त छूट की प्रति भी भिजवाएं। कार्मिकों द्वारा पूर्व में प्रेषित वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 की ऑफ–लाईन APAR कार्मिक विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार स्वीकार नहीं की गई है।

यह भी उल्लेखनीय है कि ऑन लाईन APAR में प्रतिवेदक एवं समीक्षक अधिकारी के सेवानिवृत्त होने के पश्चात ऑन–लाईन APAR भरने का प्रावधान उपलब्ध नहीं है। अतः कृपया APAR से संबंधित कार्यवाही समय पर आवश्यक रूप से सम्पादित/पूर्ण करावें।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

D:\SAS-II\sas-ii\kailash ji\order

क्रमांकः– प.3(ई) ( )/ APAR/ डीपीसी/ 2019–20/ 36 दिनांकः– 20/3/24

**प्रतिलिपि** निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. वरिष्ठ निजी सचिव निदेशक।
3. सहायक निदेशक, कार्मिक–I।
4. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

**अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)**

D:\SAS-II\sas-ii\kailash ji\order